FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

बिरधाराम वगैरह बनाम उदयाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा. प्रा. भू. नं. 184/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/6/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/07/19 को पेश हो।	
22/07/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 15/10/19 को पेश हों।	
15/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के	

(क्रमशः)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेटा सेट आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मेडे व कोट आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेतों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। बरसात के आने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेत के अन्दर जबरदस्ती काश्त कर लेते है। इस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के बिच तनाजा रहता है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की मेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नायब को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क रुपये-500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
15.10.2015
सहायक कलक्टर (SDO)

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्र/वाद/2019/ 802

दिनांकः– 18/10/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
विरधाराम पुत्र हरजिराम जाति जाट निवासी माधासर		दिपाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा निवासी माधासर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 184/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा माधासर पटवार हल्का माधासर तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 88, 132 रकबा क्रमशः 124.06, 180.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 18/10/19

क्रमांक/वाद/2019/ 803–07

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विरधाराम पुत्र हरजिराम
4. विप्रार्थीगण दिपाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु